2017/00455

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री द्वारका प्रसाद हटीला पुत्र श्री कालूराम हटीला निवासी डॉ. अम्बेडकर चौक पाबूबारी बाहर,बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, बीकानेर प्रथम सूचना अपील संख्या 247/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

27.11.17

1. उभयपक्ष हाजिर।

2. अपीलार्थी ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, बीकानेर के यहां दिनांक 06.9.17 को आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर आवेदन–पत्र में वर्णित सूचना चाही गई थी। परन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर वांछित सूचना प्रत्यर्थी से दिलाये जाने के आदेश फरमावें।

3. लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी, बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने अपने जवाब पत्रांक 517 दिनांक 27.10.17 में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित बिन्दू संख्या 2 की सूचना उपलब्ध करवादी गई है, शेष सूचना ऑनलाईन होने व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित होने तथा प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 508 दिनांक 12.10.17 से अपीलार्थी/आवेदक को रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. इसके विपरीत अपीलार्थी ने दिनांक 31.10.17 एवं 21.11.17 को आपति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि व्यवस्थापक क्रय–विक्रय सहकारी समिति द्वारा उसे कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार की अनुदानित योजनाऐं जनहित का मुद्दा है, जानबूझ कर सूचनाऐं उपलब्ध नहीं करवाना चाहते है। बिन्दू संख्या 2 की सूचना अधुरी है, ऑनलाईन सूचना में केवल गेहूं का स्टॉक आता है, जुलाई,2017 में डीलरों के कम–ज्यादा आवंटन में फर्जीवाडा किया गया है, ऑनलाईन पर आमद–बिक्री अवशेष स्टॉक चीनी, कैरोसीन का नहीं है। यह मुद्दा जनहित का है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जा कर वांछित सूचना दिलवाई जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है, या उसके नियंत्रण में है। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना यदि लोक सूचना अधिकारी के धारण/नियंत्रण में हो तो चाही गई सूचना नियत समयावधि में अपीलार्थी को दी जानी चाहिए थी।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण 15 दिवस के अंदर किया जा कर उसकी सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को आवश्यक रूप से भिजवाई जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 27.11.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

27/11

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर

प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर